न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 26/2024

श्री दिपेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र सवाई सिंह जी निवासी 3/147,148 हाउसिंग बोर्ड टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **14.08.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 04.04.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1 महोदय कोरोना कल में दिनांक 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2023 के कालखंड में उपखंड अधिकारी टोंक द्वारा उपखंड टोंक में किन–किन विभागों में कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किए गए थे सूचना उपलब्ध करावे।

2 महोदय उपरोक्त कालखंड 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2023 में स्थापित कंट्रोल रूम की स्थापना के संबंध में जारी किए गए आदेशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये।

3 महोदय कालखंड 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2023 में स्थापित कंट्रोल रूम के निरस्तीकरण के संबंध में जारी किए गए आदेशों की प्रमाणित प्रत्तियां उपलब्ध करावे।

4 महोदय से निवेदन है कि उपखंड अधिकारी महोदय टोंक द्वारा किन आदेशों के अधीन कंट्रोल रूम स्थापित किए गए थे उक्त आदेशों की प्रामाणित प्रति सहित सूचना उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 809 दिनांक 11.06.2024, 853 दिनांक 24.06.2024 व 965 दिनांक 3.7.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 648 दिनांक 15.07.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में उनके पत्र कमांक 1196 दिनांक 21.06.2024 से अपीलार्थी को सूचना के सम्बंध में सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक